

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 30/2018 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2018/00037

उनवान

1. श्री शंकर पिता नाथुजी मीणा उम्र बालिग
2. श्री देवा पिता नाथुजी मीणा उम्र बालिग
निवासीयान झल्लारा, कालीपाडी तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।

- वादीगण

बनाम

1. श्री कचरा पिता नाथु मीणा आयु बालिग निवासी झल्लारा, कालीपाडी हाल तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार झल्लारा, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)

-प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-:निर्णय:-

दिनांक:-16-12-2025



**उपस्थिति: श्री नारायणसिंह चूण्डावत अधिवक्ता-वादीगण
प्रतिवादी संख्या 1- एक पक्षीय**

वादीगण ने वाद बाबत पांती बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण मे निर्णय दिनांक 30-07-2024 द्वारा प्रकरण मे बंटवाडे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार झल्लारा के पत्रांक 657 दिनांक 16-10-2025 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट का अवलोकन वादीगण को करवाया गया। वादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर करते हुए माफिक पालना रिपोर्ट प्रकरण मे बंटवाडे की अंतिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः वादीगण को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा हाल तहसील झल्लारा के आराजी नम्बर 2769 रकबा 1.01 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 3260/2770 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

1. **खातेदार का नाम-** श्री कचरा पुत्र नाथु मीणा सा. देह खातेदार जि.स.भू.वि. बैंक लिमिटेड उदयपुर

क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर)	भूमि किस्म	लगान
1	2769 मीन	0.28	हकत तृतीय	0.64
2	2769/1	0.06	हकत तृतीय	0.14
3	3260/2770/1	0.02	हकत तृतीय	0.05
योग	किता-3	कुल रकबा-0.36	-	0.83 रु.

- 2- खातेदार का नाम- श्री देवा पुत्र नाथु मीणा सा. देह खातेदार उदयपुर जि.स.भू. वि. बैंक लिमिटेड उदयपुर

क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर)	भूमि किस्म	लगान
1	2769/2	0.29	हकत तृतीय	0.67
2	2769/3	0.02	हकत तृतीय	0.05
3	3260/2770 मीन	0.05	हकत तृतीय	0.11
योग	किता-03	कुल रकबा -0.36	-	0.83 रु.

- 3- खातेदार का नाम- श्री शंकर पुत्र नाथु मीणा सा. देह खातेदार उदयपुर जि.स. भू.वि. बैंक लिमिटेड उदयपुर

क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर)	भूमि किस्म	लगान
1	2769/4	0.24	हकत तृतीय	0.55
2	2769/5	0.12	हकत तृतीय	0.28
योग	किता-02	कुल रकबा-0.36	-	0.83 रु.

पालना रिपोर्ट क्रमांक 657 दिनांक 16-10-2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त निर्णय जूज हिस्सा है। माफिक निर्णय अंतिम डिक्री जारी की जाकर पालार्थ तहसीलदार झल्लारा को निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय दिनांक 16-12-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
सहायक कलेक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 30/2018 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2018/00037

उनवान

1. श्री शंकर पिता नाथुजी मीणा उम्र बालिग
2. श्री देवा पिता नाथुजी मीणा उम्र बालिग
निवासीयान झल्लारा, कालीपाडी तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।

- वादीगण

बनाम

1. श्री कचरा पिता नाथु मीणा आयु बालिग निवासी झल्लारा, कालीपाडी हाल तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार झल्लारा, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)

-प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक:- 16/12/2025

वादीपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीगण की और से एडवोकेट श्री नारायणसिंह चूण्डावत एवं प्रतिवादी संख्या 1 की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 16-12-2025 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा हाल तहसील झल्लारा के आराजी नम्बर 2769 रकबा 1.01 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 3260/2770 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है-

1. खातेदार का नाम- श्री कचरा पुत्र नाथु मीणा सा. देह खातेदार जि.स.भू.वि. बैंक लिमिटेड उदयपुर



क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर)	भूमि किस्म	लगान
1	2769 मीन	0.28	हकत तृतीय	0.64
2	2769/1	0.06	हकत तृतीय	0.14
3	3260/2770/1	0.02	हकत तृतीय	0.05
योग	किता-3	कुल रकबा-0.36	-	0.83 रु.

2. खातेदार का नाम- श्री देवा पुत्र नाथु मीणा सा. देह खातेदार उयपुर जि.स.भू.वि. बैंक लिमिटेड उदयपुर

क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर)	भूमि किस्म	लगान
1	2769/2	0.29	हकत तृतीय	0.67
2	2769/3	0.02	हकत तृतीय	0.05
3	3260/2770 मीन	0.05	हकत तृतीय	0.11
योग	किता-03	कुल रकबा -0.36	-	0.83 रु.

सहायक कलेक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर

- 3- खातेदार का नाम- श्री शंकर पुत्र नाथु मीणा सा. देह खातेदार उदयपुर जि.सं.भू.वि. बैंक लिमिटेड उदयपुर

क्र.स.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर)	भूमि किस्म	लगान
1	2769/4	0.24	हकत तृतीय	0.55
2	2769/5	0.12	हकत तृतीय	0.28
योग	किता-02	कुल रकबा-0.36	-	0.83 रु.

पालना रिपोर्ट क्रमांक 657 दिनांक 16-10-2025 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस उक्त डिक्री जूज हिस्सा है। नोट:-बैंक रहन सम्बन्धित आराजीयात पर बदस्तुर रहेगा। पालार्थ तहसीलदार झल्लारा को डिक्री की एक प्रति को भेजी जावे।

इसके बाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 16-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर सलूम्वर
जिला सलूम्वर



वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	01	-	शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-
2. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	-	प्लीडर की फीस	-	-
4. रूपयेपरप्लीडर की फीस	-	-	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	आदेशिका की तामील	-	-
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	-	कमिश्नर की फीस	-	-
7. आदेशिका की तामील	-	-		-	-
योग	05	-	योग	01	-



सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर सलूम्वर
जिला सलूम्वर